

उत्तर प्रदेश सरकार लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
Office of Executive Engineer
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड
National Highways Division
लो०नि०वि०, सीतापुर - 261001
UPPWD, Sitapur-261001



कैचीपुल वादसगंज सीतापुर - 261001
Kainchipul Whatsganj, Sitapur
e-mail: eenhsitapur@gmail.com

पत्रांक 279 / रा०मा०सं०-330डी/2023

दिनांक 27.02.2023

सेवा में

प्रभागीय निदेशक, सा० वा० प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई
उत्तर प्रदेश

विषय :- सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या - 330 डी) के किमी० 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेव सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में 8.28 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका का पत्रांक 2110 / 11-C- FP/UP/ROAD/146875/2021 दिनांक - 22 दिसंबर 2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय एवं पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से प्रस्ताव में कुछ कमियां / अभिलेखों का आभाव पाया गया था। इस सन्दर्भ में आवेदक विभाग द्वारा बिंदुवार अनुपालन रिपोर्ट निम्नलिखित है :-

क्रमांक	प्रस्ताव में कमियाँ	आवेदक विभाग का बिंदुवार अनुपालन/उत्तर
हरदोई वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में संलग्न किये गये लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी / प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी प्रभागीय वनाधिकारी हस्ताक्षरित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र संलग्न है, एवं ऑनलाइन अपलोड है।
2	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(ii) में CA का पूर्ण प्राक्कलन अपलोड नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
3	प्रस्ताव में CA स्थल का Geo Referenced Digital Map संलग्न है किन्तु Goo Referenced Digital Map को ऑर्डिनेट्स के बिन्दु नहीं दर्शाये गये हैं। अतः Geo Referenced Digital Map पर कोऑर्डिनेट्स के बिन्दु दर्शाते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें तथा सत्यापित Geo Referenced Digital Map ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण मैप डिलिट करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
5	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में अपलोड किया गया Sol Toposheet प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित नहीं है। अतः सत्यापित Sol Toposheet ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें तथा Additional Information Detail से पूर्व का त्रुटिपूर्ण मैप डिलिट करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
6	प्रस्ताव में सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है, जिसमें समय लग सकता है, अतः वचनबद्धता को स्वीकार करें, जिससे परियोजना को शुरू करने में विलम्ब न हो।

7	ऑनलाइन भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.1 तथा हार्डकॉपी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.3 अंकित है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः एक समान सही हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग-2 तथा हार्डकॉपी भाग-2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
8	परियोजना में 10 किमी० परिधि में कोई सेंचुरी/वन्य जीव न होने से सम्बंधित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
9	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 एवं 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
10	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर पत्र अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान पर अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
11	पेनड्राइव में अपलोड की गयी पी०डी०एफ० फाइल त्रुटिपूर्ण है तथा प्रस्तावित एवं CA स्थल की के०एम०एल० फाइल भी अपलोड नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी०डी०एफ० फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं CA स्थल की के०एम०एल० फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
सीतापुर वन प्रभाग		
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का सूक्ष्म एवं अपठनीय टोपोग्राफिक संलग्न किया गया है स्वीकार नहीं है। अतः 1:50000 माप का फुल एवं पठनीय रंगीन टोपोग्राफिक प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	1:50000 माप का फुल एवं पठनीय रंगीन टोपोग्राफिक प्रस्ताव में संलग्न है, एवं ऑनलाइन अपलोड है।
2	प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में निरीक्षण तिथि अंकित नहीं है। निरीक्षण तिथि अंकित कर संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में यथास्थान पर अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
3	प्रस्ताव में किये गये वनभूमि की गणना एवं वृक्षों की सूची पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
4	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक 1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकार का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
5	मानक शर्तों के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण-पत्र पर प्रभागीय निदेशक के प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
6	प्रस्ताव में संलग्न किये गये लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र पर प्रयोक्ता एजेंसी / प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी / प्रभागीय वनाधिकारी हस्ताक्षरित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र संलग्न है, एवं ऑनलाइन अपलोड है।
7	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रस्तावित वनभूमि के Geo Referenced Digital Map पर प्रयोक्ता एजेंसी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रयोक्ता एजेंसी हस्ताक्षरित Geo Referenced Digital Map संलग्न है, एवं ऑनलाइन अपलोड है।
8	प्रस्ताव में प्रभावित संरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दुगनें अवनत वनभूमि का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राकलन संलग्न किया गया है, किन्तु प्राकलन में CA स्थल का क्षेत्रफल प्रस्ताव में संलग्न Geo Referenced Digital Map के क्षेत्रफल से भिन्न अंकित किया गया है। अतः प्राकलन में CA स्थल का सही क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित प्राकलन प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13 में सही धनराशि सहित अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
9	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बंधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
10	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोग्राफिक संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में सत्यापित टोपोग्राफिक अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
11	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
12	एन०पी०वी० में एन०पी०वी० की धनराशि जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।

13	एन०पी०वी० में संशोधन के उपरान्त बड़ी हुई एन०पी०वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
14	एन०पी०वी० की गणना संलग्न है, किन्तु गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित किया गया है। अतः सही प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल अंकित कर संशोधित एन०पी०वी० की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
15	प्रस्ताव में सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। अतः सम्बन्धित विभागों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।	सम्बंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रक्रियाधीन है, जिसमें समय लग सकता है, अतः वचनबद्धता को स्वीकार करें, जिससे परियोजना को शुरू करने में विलम्ब न हो।
16	प्रस्ताव में वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
17	मार्ग चौड़ीकरण का स्टैंड क्रॉस सेक्शन (Linear Plan) संलग्न नहीं है।	स्टैंड क्रॉस सेक्शन (Linear Plan) संलग्न है, एवं ऑनलाइन अपलोड है।
18	परियोजना में 10 किमी० परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव न होने से सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
19	प्रस्ताव में संलग्न किये गये मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
20	प्रस्ताव में संलग्न किये गये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने से सम्बन्धी प्रमाण पर प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
21	बाधक वृक्षों की दशा में Entire Tree Transplant (ETT) से सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेंसी की वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
22	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो प्रभागीय निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित हो प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
23	ऑनलाइन भाग-2 में इको क्लास-1 एवं हरियाली घनत्व 0.1 अंकित है, जबकि एन०पी०वी० की गणना में इकोक्लास-3 एवं हरियाली घनत्व-0.3 अंकित है, तथा हार्डकापी भाग-2 में हरियाली घनत्व 0.1 अंकित है, जोकि भिन्न-भिन्न है। अतः एक समान सही इको क्लास एवं हरियाली घनत्व ऑनलाइन भाग-2, एन०पी०वी० गणना एवं हार्डकापी भाग-2 में अंकित कर ऑनलाइन अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
24	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-5 एवं 6 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
25	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को Remark सहित अपलोड नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
26	ऑनलाइन भाग-2 के District Profile एवं हार्डकापी भाग-2 के District Profile में एक समान एवं सही विवरण अंकित नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
27	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) 5.12 हे० CA के एम०एल० फाइल के स्थान पर पर 4.90 हे० CA की के०एम०एल० फाइल अपलोड है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः 5.12 हे० CA की के०एम०एल० फाइल ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) में अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
28	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(i) एवं क्रमांक-13 (iii) में 1.29 हे० CA स्थल, कोडरिया वन ब्लॉक की के०एम०एल० फाइल एवं Geo Referenced Digital Map अपलोड नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बंधित है।
29	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक- 13(v) में उपयुक्तता प्रमाण पत्र के स्थान पर वन स्वरूप का प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर उपयुक्तता प्रमाण पत्र यथास्थान पर अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
30	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-16 में प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के स्थान पर प्राक्कलन अपलोड किया गया है जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलिट कर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति यथास्थान पर अपलोड करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।

31	पेनड्राइव में प्रस्तावित एवं CA स्थल की के०एम०एल० फाइल अपलोड नहीं है। अंत उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की संशोधित पी०डी०ए० फाइल, जिसमें प्रस्तावित एवं CA स्थल की के०एम०एल० फाइल हो, पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	वन विभाग से सम्बंधित है।
----	---	--------------------------

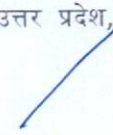
अतः आपसे अनुरोध है कृपया फॉरेस्ट क्लियरेंस अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे परियोजना को धरातल पर प्रारम्भ किया जा सके।


 27/02/23
 (संजय कुमार सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०,
 सीतापुर

पत्रांक / रा०मा०सं०-330डी/2023-24

दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्या वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ


 (संजय कुमार सिंह)
 अधिशासी अभियन्ता
 रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०,
 सीतापुर